2. Consideration and passing of the State Financial Corporations (Amendment) Bill, 2000, as passed by Lok Sabha.

---

## THE PASSPORT (ENTRY INTO INDIA) AMENDMENT BILL, 2000

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Passport (Entry into India) Act, 1920.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I introduce the Bill.

---

## THE BIHAR REORGANISATION BILL, 2000 -*Contd.*

**श्रीमती चन्द्रकला पांडेय** (पश्चिमी बंगाल) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं आपसे और सदन के अन्य जो मंत्रीगण यहां बैठे हैं उनसे क्षमा चाहूंगी कि रेटिना आपरेशन के कारण मैं अभी भी नजरें उठाकर बात नहीं कर सकूंगी। वैसे भी इस पुनर्गठन विधेयक पर बातें करते समय नजरें झुकाकर ही बात करना अच्छा है।

आज हम यहां जिस संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं, खास करके देश के एक बड़े भूभाग बिहार में रहने वालों के लिए तो यह बड़ा ही गंभीर मसला है। जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों में बंगाल है फिर भी यू.पी. और बिहार में कहीं मेरा मायका है, कहीं मेरी ससुराल है। इसलिए मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए खास तौर से कहा गया है। महोदय, बिहार में ससुराल है, यू.पी. में मायका है।

महोदय, हमारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) कभी छोटे राज्यों के निर्माण के समर्थन में नहीं रही है। इसी कारण न हम वनांचल का समर्थन कर पाए हैं न उत्तरांचल का, न ही झारखंड का जिस पर आज चर्चा चल रही है।

**श्री संघ प्रिय गौतम** (उत्तर प्रदेश): दोनों से रिश्ता छोड़ दिया?

**श्रीमती चन्द्रकला पांडेय** : आप लोग तुड़वा दे रहे हैं। न तो यह बिहार की आम जनता की भलाई में होगा न पूरे राष्ट्र के हित में, न खुद दक्षिणी बिहार के हित में। यहां की जनता बहुत बड़े पैमाने पर शोषण का शिकार है, दलित, वंचित, गरीब है। आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ी है। यह पुनर्गठन विधेयक किसी रूप में उनके हित में नहीं है।